

जिला कार्यक्रम समन्वयक, (1)

प्राथमिक/मध्य विद्यालय, सुनिडा

प्रस्ताव . . . का एक अतिरिक्त वर्ग कक्षा-निर्माण की स्वीकृति कार्यकारिणी द्वारा प्राप्त है। एक अतिरिक्त वर्ग कक्षा-निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 159900/- (एक लाख उनसठ हजार नौ सौ मात्र) है जिसमें से निर्माण मूल में रु० 1,56,000/- (एक लाख छपन हजार रु०) तथा सुपरविजन चार्ज रु० 3900/- (तीन हजार नौ सौ रु० मात्र) है।

अतः एक अतिरिक्त वर्ग कक्षा-निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु प्राक्कलित राशि का 75% अर्थात् रु० 119925/- (एक लाख उन्नीस हजार नौ सौ पच्चीस रु० मात्र) प्रथम किस्त की राशि अग्रिम के रूप में विद्यालय शिक्षा समिति प्राथमिक/मध्य विद्यालय, सुनिडा के पदनाम से चेक निर्गत करने हेतु आदेश देना चाहेंगे।

आदेशार्थ
17-03-05

शशि
चेक सं०
दिधि

मास्टर साहबका है आदेशार्थ
केवु द्वारा (मनोम विद्यालय से)
दिधि राशि रु० 119925/-
दिधि सं० 89-708

2

शिला कार्यवाही सम्बन्धित

विद्यालय शिक्षा समिति प्रमाण-पत्र वि०

प्रा० वि० स्तम्भों

प्रखंड ३३३३५२ को सि०-१ के निर्माण कार्य हेतु
 प्राथमिक राशि १५११००=० में से अग्रिम राशि रुपये
 १५३९२५=० उपलब्ध करायी गयी थी। उपलब्ध कराये गये
 उपयोगिता प्रमाण-पत्र/ सभी पुरतिका के अनुसार ३५१ रतार
 तक निर्माण कार्य हो चुका है तथा रुपये १५५२३५=० का उपयोगिता
 प्रमाण-पत्र प्रस्तुत है। विद्यालय शिक्षा समिति को विक्री कर रुपये ३१०५=० एवं
 रॉयल्टी रुपये २३२१=० की कटौती करते हुए अगले वित्त की राशि रुपये...
 ५४७६=० (यू.पू. १०१३.१६ दिनांक १५/०५/०८) उपलब्ध कराने का आदेश देना चाहिये एवं अभी तक के सभी निर्गत
 राशियों का समायोजन करते हुए सविका बन्द करने का आदेश देना चाहिये।

निदेशिका अनुसार
 लेखा
 २७-०७-०८

६/३/०८

18/08/08

Sl. No. 233333 / 19.3.18

1

श्री उमेश कुमार सिंह

अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा

घाटमणि रामपुर समिति के बीच उमेश कुमार

निर्माण हेतु एकरारनामा किया गया तथा निम्नलिखित की रूपरिथि में हस्ताक्षर किया गया और प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष

1. प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक
(पुरा नाम , हस्ताक्षर एवं मुहर)

संसाधन केन्द्र

द्वितीय पक्ष

1. अध्यक्ष
(i) पुरा नाम - उमेश कुमार सिंह
(ii) हस्ताक्षर - उमेश कुमार सिंह
2. सचिव
(i) पुरा नाम - श्री श्री ज्ञानती देवी
(ii) हस्ताक्षर - ज्ञानती देवी
3. प्रधानशिक्षक
(i) पुरा नाम - स. प्र. सिंह
(ii) हस्ताक्षर - स. प्र. सिंह

खाता सं० - (11)
 बैंक का नाम - के. ए. ए. बैंक
 समिति का मुहर - घाटमणि रामपुर

- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्चर-1 के अनुरूप हो (आई. एस. आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा वह राष्ट्रीय क्रय प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुभवण करेगा तथा पर्यवेक्षक/अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सूचित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण मांगेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नक्शे और प्रारूप के अनुरूप, कुल प्राक्कलित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड ससाधन केन्द्र को कार्य की प्रगति से अवगत कराता रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेंगा।
- (10) सभी प्रकार के ड्यूटी के तहत वहन करने का प्रावधान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स की कटौति कर सकती है।)

7.2 विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीस बर्क बेसिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या मान्य निर्माण सरथा जिसका पुराना रिकार्ड लोक भागीदारी में अच्छा रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थितियों में गैर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खोने या चोरी होने की, नकद या मजदुर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

8. **विवाद या मतभेद** :- यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकशरनामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष पिचार-विमर्श कर इन दुबने का प्रयास करेंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलह हेतु जिले के जिलाधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतिक हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि :-

इस एकरारनामा की तिथि से(महीना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा। विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कड़िका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की तीन प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता कार्य प्रगति का अद्यतन ब्यौरा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

7.1 द्वितीय पक्ष :-

(1) कड़िका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।

(2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में

(4)

सर्व शि



1998/1999 893

1. यह एकतरफाना प्रपत्र एकात्मिक रूप में दिनांक को प्रथम पक्ष (जो इससे बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) के बीच जिला (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) के बीच निर्माण कार्य (कार्य के अंश को चलेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकतरफाना कराया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद कुल लागत कहा जाएगा) (शब्दों में) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाचार्यक तथा समिति के दस्तावेज हो रहा है, उसे अपने गे इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रत्येक संसाधन मंच के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित तालिका के अनुसार किया जाएगा

	अतिरिक्त: कमरा एवं अन्य स्कीम (प्रत्येकित लागत का % के रूप में)	शौचालय (प्रत्येकित लागत का % के रूप में)
1. प्रथम किस्त	50%	75%
2. द्वितीय किस्त	35%	---
3. तृतीय किस्त	15%	25%

3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान निर्माण स्थल पर नियुक्त कर्मीय अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा 'पेमेंट प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाने पर तथा पिछली निर्माण राशि को कम से कम 50 प्रतिशत और दस्तावेज पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की जायेगी।

4. खाता का संचारण - द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का अलग ब्यौरा रखेगा यह ब्यौरा प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

(3)

श्री उमेश कुमार सिंह

अध्यक्ष विद्यालय शिक्षा समिति और प्रखण्ड ससाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा

प्राथमिक स्कूलों समिति के बीच शुद्ध कक्षा

निर्माण हेतु एकरारनामा किया गया तथा गिन्तलिखित की

सपरिस्थिति में हस्ताक्षर किया गया और प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

प्रखण्ड ससाधन केन्द्र समन्वयक
(पूरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

राजेश्वर प्रसाद शर्मा

1. अध्यक्ष

(i) पूरा नाम - उमेश कुमार सिंह

(ii) हस्ताक्षर - उमेश कुमार सिंह

2. सचिव

(i) पूरा नाम - श्री मंगी लाल शर्मा

(ii) हस्ताक्षर - श्री मंगी लाल शर्मा

3. प्रधानशिक्षक

(i) पूरा नाम - श्री (सुनील कुमार) सिंह

(ii) हस्ताक्षर - श्री (सुनील कुमार) सिंह

खाता सं० - 6

बैंक का नाम - श्री (सुनील कुमार) सिंह

समिति का मुहर - श्री (सुनील कुमार) सिंह

6

4.1 तिथि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि :-

इस एकरारनामा की तिथि से (महीना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कंडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की तीन प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता कार्य प्रगति का आ जातन ब्योरा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कंडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।

सद



7

एकरारनामा प्रपत्र

1. यह एकरारनामा प्रपत्र एकरारनामा के रूप में दिनांक को प्रथम पक्ष द्वारा तैयार की गई समन्वयक (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम के संबंधित होंगे) के बीच निर्माण कार्य (उल्लेख) करने के लिए निर्माता/विद्यार्थी पर एकरारनामा बंधनबद्ध किया है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत के बाद कुल लागत (शब्दों में) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के माध्यम से खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या तथा समिति के हस्ताक्षर हो रहा है, सभी खातों में द्वारा धनार्थ को राशि जमा की जायेगी। राशि प्रत्येक वर्षावधि में माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निर्माता/विद्यार्थी को निम्न प्रकार किया जायेगा :-

	अतिरिक्त कमरा एवं अन्य सुविधा (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)	शौचालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)
1. प्रथम किस्त	50%	75%
2. द्वितीय किस्त	35%	—
3. तृतीय किस्त	15%	25%

3.3 प्रत्येक वर्ष का भुगतान निर्माण स्थल पर नियुक्त कर्मीय अधीनता और सहायक व्ययिता द्वारा निर्मित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने पर तथा पिछले निर्मित राशि का कम से कम 50 प्रतिशत की दर से पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है प्रथम पक्ष द्वारा अगले वर्ष की राशि निर्मित की जायेगी।

4. खाता का संचालन : द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के मान को प्रमाण ब्यौरा रखेगा यह ब्यौरा प्रथम पक्ष के या अन्य दर्जों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निर्माण कार्य के प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

(6)

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि :-

इस एकरारनामा की तिथि से(महीना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कंडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कमी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की तीन प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कमीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कमीय अभियंता कार्य प्रगति का आँकलन ब्योरा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कंडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।

सं



7

एकरारनामा प्रपत्र

1. यह एकरारनामा प्रपत्र, एकरारनामा के रूप में दिनांक को प्रखण्ड सारथी के समन्वयक (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संदर्भित होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम के संदर्भित होंगे) के बीच (जो इसके बाद त्रितीय पक्ष के नाम के संदर्भित होंगे) के बीच निर्माण कार्य (याई के नाम से उल्लेख) करने के लिए निर्माता/निर्माता पर एकरारनामा बनेगा।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत (शब्दों में) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के काम से जो खाता खोलना पड़े है जिसका संचालन प्रथम पक्ष तथा समिति के हस्ताक्षर हो रहा है, उस खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड सारथी के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा :-

	अतिरिक्त बनरा एवं अन्य रकम (प्रक्षयित लागत का % के रूप में)	शौचालय (प्रक्षयित लागत का % के रूप में)
1. प्रथम किस्त	50%	75%
2. द्वितीय किस्त	35%	—
3. तृतीय किस्त	15%	25%

3.3 प्रत्येक करण का भुगतान निर्माण स्थल पर नियुक्त वकील अधिवक्ता और सहायक अभियंता द्वारा निर्मित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने पर तथा दिल्ली निर्मित राशि का कम से कम 50 प्रतिशत जो 100 प्रतिशत पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले करण की राशि निर्गत की जायेगी।

4. खाता का संचारण :- द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खाते का अंतर ब्यौरा रखेगा यह ब्यौरा प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

(8)

श्री उमेश कुमार सिंह

अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा

प्राद-लेट खानेभौ समिति के बीच रुठ नगर

निर्माण हेतु एकरारनामा किया गया तथा निम्नलिखित की

अपरिस्थिति में हस्ताक्षर किया गया और प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक
(पुरा नाम , हस्ताक्षर एवं मुहर)

संजय कुमार खन्ना

1 अध्यक्ष

(i) पुरा नाम - उमेश कुमार सिंह

(ii) हस्ताक्षर - उमेश कुमार सिंह

2. सचिव

(i) पुरा नाम - श्री मनी शंकर शर्मा

(ii) हस्ताक्षर - मनी शंकर शर्मा

3. प्रधानशिक्षक

(i) पुरा नाम - श्री संजय कुमार खन्ना

(ii) हस्ताक्षर - संजय कुमार खन्ना

खाता सं० - 611

बैंक का नाम - आंध्र प्रदेश बैंक अनापल

समिति का मुहर - रुठ नगर शिक्षा समिति

10042

9

- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेन्धर-1 के अनुरूप हो (आई. एस. आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा वह राष्ट्रीय क्रय प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में प्रकृत है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुभवण करेगा तथा पर्यवेक्षक/अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सूचित करेगा और आवश्यक सफ्टीकरण मांगेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य भवश और प्रारूप के अनुरूप, कुल प्राकृतित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बदलाव किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड सारवाधन कन्ड को कार्य की प्रगति से अवगत कराता रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान डेरा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेंगा।
- (10) सनी प्रकार के उपकरणों के तहत बहन करने का प्रावधान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स की कटौति कर सकती है।)

7.2 विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीस वर्क बरिश (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकता है या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या मान्य निर्माण संस्था जिराफा भुगतान रिकार्ड लोक भागीदारों में अक्षा रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थिति में गैर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खाने या धोरी लेने की गकत या मजदूर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

8. **विवाद या मतभेद :-** यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एक संस्था का किसी भी स्तर पर भेदा है तो दोनों पक्ष विचार-विमर्श कर हल बुझने का प्रयास करेंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद मुलाह हेतु जिले के जिलाधिकारी के सम्मक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

(10)

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि :-

इस एकरारनामा की तिथि से (महीना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कंडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य करने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की तीन प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रमारी कनीय अभियंता कार्य प्रगति का अद्यतन ब्यौरा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अयहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कंडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।

(2)



1. यह एकरारनामा प्रपत्र, एकरारनामा के रूप में दिनांक को प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम के संबोधित होंगे) के बीच जिला (कार्य के नाम का उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरारनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद "कुल लागत" कहा जायेगा) (शब्दों में) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाध्यापक तथा सचिव के हस्ताक्षर हो रहा है उस खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा :-

	अतिरिक्त कमरा एवं अन्य स्कीम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)	शौचालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)
1. प्रथम किस्त	50%	75%
2. द्वितीय किस्त	35%	---
3. तृतीय किस्त	15%	25%

3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान निर्माण स्थल पर नियुक्त कर्मीय अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा विहित प्रपत्र में जायोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने पर तथा पिछली निर्गत राशि का कम से कम 50 प्रतिशत और इससे पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की जायेगी।

4. खाता का संभारण :- द्वितीय पक्ष द्वारा समझ पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का अलग ब्यौरा रखेगा यह ब्यौरा प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

सेवा में

शिक्षा शिक्षा अधीक्षक
शिक्षा. कार्यालय अखिल-बंगल
सर्व शिक्षा अभियान (ओरिसा)
(विभाग)

19

विषय - सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक नया निर्माण के फाउण्डेशन डिजाइन विवरण निर्धारण करने के संबंध में।

महोदय -

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रा. वि. 02 रेलियां बलपुर में एक नया निर्माण के पुनः निर्माण (119925) एक लागत अनुमान तैयार हो सके पर्याप्त रूप से किया जाये। निर्माण के तहत एक नया डिजाइन एक फाउण्डेशन डिजाइन विवरण के तैयारी में कृपया कार्य करें।

मेरी संज्ञा सुभाषिणी प्रसाद
प्रा. वि. 02 रेलियां बलपुर
दि. 12/06/05

अतः आपसे आग्रह पूर्वक कृपया हेतु निर्माण के डिजाइन विवरण का सुझाव जल्दी से करने का कष्ट करें जिससे जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूर्ण किया जा सके।

श्री. श्री. अधीक्षक महोदय -
सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालय
पराशर का निर्माण कार्य हेतु डिजाइन
कार्य के संबंध में
आपसे उचित निर्देशों का अनुरोध है।
30.6.05
30/6/05
A-E

आपका निश्चालनार्थ
सुभाषिणी प्रसाद
प्रा. शिक्षक
प्रा. वि. 02 रेलियां बलपुर
ओरिसा-
विभाग
प. शा. वि. सेवा
बलपुर, ओरिसा - विभाग

दिनांक 3.2.07

सदस्य :-

- 1 मि. व. न. प. ल. न.
- 2 कमली देवी
- 3 उमेश सिंह चण्डेशी
- 4 ज्योती देवी
- 5 सुमती झा

- 6 ज्योती देवी
- 7 चंजय कुमार सिंह
- 8
- 9
- 10

आज दिनांक 3.2.07 को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक हुई। जिसमें उपरोक्त सदस्यों की उपस्थिति हुई। बैठक का अध्यक्षता सुमती झा ने की। बैठक में विद्यालय शिक्षा समिति की कार्यवाही पर चर्चा हुई। जिसमें विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों की कार्यवाही पर चर्चा हुई। बैठक में विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों की कार्यवाही पर चर्चा हुई। बैठक में विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों की कार्यवाही पर चर्चा हुई।

दिनांक	उपस्थित	अपस्थित	कुल	कुल	कुल
27.12.06	68	12	110	5944	
2.1.06	68	21	110	6594	
8.1.06	63	21	110	7410	
9.1.06	75	21	110	5982	
10.1.06	54	21	110	10878	
16.1.06	126	14	110	4976	
17.1.06	42	21	110	5166	
23.1.06	42	21	110	2774	
24.1.06	23	11	110	49144	
22.8.06					
29.10.06					
4.11.06					
5.11.06					
11.11.06					
12.11.06					
19.11.06					

सचिव
कमली देवी

पता: नरकेंद्र, जयपुर, जयपुर, जयपुर

विद्यालय शिक्षा समिति

अध्यक्ष
सुमती झा

विद्यालय शिक्षा समिति
जयपुर

समिति पंजी

दिनांक	कार्य	का. कार्य	चौड़ा
28-12-05	को. निमा + भाग	3000	5750.00
28-12-05	कार्य	3000 cft	2400.00
29-12-05	अ. तर रिज	3750K + 475 + 500	9602.00
29-12-05	ईर + सुलईर	3000	6300.00
29-12-05	सिमेंट	135 कग	20925.00
29-12-05	कार्य	3000 cft	2400.00
1-1-06	ईर	3000	6300.00
5-1-06	ईर	3000	1400.00
6-1-06	कार्य रिडी आरि	700 cft	4200.00
12-1-06	ईर	2100	2400.00
23-1-06	कार्य	3000 cft	5750.00
24-1-06	को. निमा + भाग	3000 cft	22695.00
25-1-06	सू. + भाग	910 कग	2400.00
24-10-06	कार्य	3000 cft	8525.00
28-10-06	सिमेंट + भाग	47 कग	12067.00
28-10-06	ईर सिम	---	1367.00
13-11-06	भा. + पेर 200 + भाग	---	3777.00
15-11-06	2.5/ supervision charge.	---	124558.00
			124558.00

पर निमा चौकीर और पाम ही निमा का

कुल लागत = 124558.00

अनुमान = 49144.00

अनुमान के अंत में जबर निमा और भाग ही अनुमान में नहीं करके अलग तौर पर लिखा गया है और यह भी जबर ही अनुमान में नहीं करके अलग तौर पर लिखा गया है और यह भी अनुमान में नहीं करके अलग तौर पर लिखा गया है

पदेन सदस्य
गणेश चंद्र

प्रधानाध्यक्ष
घाट बंद वि. सं. 11
बनपुर (बी.एम.जी.)

14

भारत का नया, निर्दोष, शक्तिशाली, आधुनिक और

एक विशाल स्वनिर्मा (मदनपुर)

दिनांक: 13/11/2006

क्र.सं.	कार्य का नाम	कहाँ से कच्चा माल (व्याप्तियों का नाम)	मात्रा	दर	मूल्य	दिनांक	अभियुक्ति
28.12.05	रस्ता मिठा	रस्ता-2 (मिठा व कचरा)	300 ई	1800	5400	1	
	कचरे कचरे				350		
28.12.05	गाड़ी	डी-2 (मिठा व कचरा)	200 ई	800	2400	2	
29.12.05	इसस + डी मिठा	डी-2 (मिठा व कचरा)	375 ई	2150	8062	3	
	डी		4 ई	35	140		
	डी		5 ई	25	110		
28.12.05	डी	N.P मिठा व कचरा	2000	180	5400	4	
	कचरे कचरे			300	900		
28.12.05	मिठा	डी-2 (मिठा व कचरा)	125 ई	155	20925	5	
29.12.05	गाड़ी	डी-2 (मिठा व कचरा)	200 ई	800	2400	6	
1.1.06	डी	N.P मिठा (मिठा व कचरा)	2000	---	6300	7	
5.1.06	डी	N.P मिठा (मिठा व कचरा)	2000	---	6300	8	
6.1.06	गाड़ी (मिठा व कचरा)	डी-2 (मिठा व कचरा)	700 ई	200	1400	9	
12.1.06	डी	N.P मिठा	2000	---	4200	10	
23.1.06	गाड़ी	डी-2 (मिठा व कचरा)	300 ई	800	2400	11	
24.1.06	डी (मिठा व कचरा)	डी-2 (मिठा व कचरा)	300 ई	1800	5400	12	
					350		
25.1.06	इसस	डी-2 (मिठा व कचरा)	910 ई	2450	22215	13	
					400		
24.10.06	गाड़ी	डी-2 (मिठा व कचरा)	300 ई	800	2400	14	
24.10.06	मिठा	डी-2 (मिठा व कचरा)	47 ई	175	8225	15	
					300		
25.10.06	डी मिठा	डी-2 (मिठा व कचरा)	---	130	12067	16	
13.11.06	डी (मिठा व कचरा)	डी-2 (मिठा व कचरा)	---	---	1367	17	
5.11.06	डी (Supervision charge)				3777	18	
					124559		

आचार्य जी (निरीक्षण) नाम के कारखाने वाले का नाम

नाम: श्री देवी
 पता: ...
 मदनपुर, ...

नाम: ...
 पता: ...
 मदनपुर, ...

नाम: ...
 पता: ...
 मदनपुर, ...

30/11/06
 15/11/06
 14/11/06
 13/11/06

(5)

निर्वाह प्रणाली की शिखरणी(SOI)

संज्ञक का नाम (अभिहित वस्तु, शीघ्राद्य, सामुदायिक आदि) - **गुणवत्ता का परीक्षण**

श्री 1111 निदेशक के निदेशों

कुल मूल्य और आंकड़ावाद

2024

क्र.सं.	वस्तु का नाम (संख्यात्मक)	वस्तु का विवरण	कुल मात्रा	दर	कुल मूल्य	दर	कुल राशि	अभियुक्ति
1	2712 05 1	11111 कागज, 11111 कागज	68	68	12	110	5944	
2	34 06 1	1111 कागज, 1111 कागज	63	68	21	110	6594	
3	101 06 1	1111 कागज, 1111 कागज	75	68	21	110	7410	
4	117 06 1	1111 कागज, 1111 कागज	54	68	21	110	5992	
5	24 06 1	1111 कागज, 1111 कागज	126	68	21	110	10878	
6	29 10 06 1	1111 कागज, 1111 कागज	42	68	14	110	4396	
7	5 11-06 1	1111 कागज, 1111 कागज	42	68	21	110	5166	
8	12 11 06 1	1111 कागज, 1111 कागज	23	68	11	110	2774	
			कुल मूल्य					
			कुल मूल्य					
			कुल मूल्य					

कुल मूल्य का परीक्षण (श्री 1111 कागज)

श्री 1111 निदेशक के निदेशों के अनुसार

कुल मूल्य 124559.00 (दशहजार, चार सौ, पचास पाँच रुपये मात्र) कुल मूल्य 49144.00 (चौरास हजार, पचास रुपये मात्र) कुल मूल्य 173702.00

श्री 1111 निदेशक के निदेशों के अनुसार

श्री 1111 निदेशक

श्री 1111 निदेशक

कुल मूल्य का परीक्षण

श्री 1111 निदेशक

श्री 1111 निदेशक

श्री 1111 निदेशक



पुस्तक निकाश
मद्रास
०५-५४

Schedule XLV—Form No. 134.

दि. १० प्रेम, पया

BIHAR P. W. D.

_____ DIVISION

_____ SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK.

सर्व शिक्षा अभियान, ओरेगावादे
प्रा. वि. सुनियों, ऑचल-मदनपुर
Schedule XLV - Form No. 134.

एक अतिरिक्त कमरा निर्माण

प्राप्तकालित राशि - ₹ 1,59,900/-

वर्ष - 04-05

प्रमाणित किया जाता है कि
इस माप-पुस्तक में कुल 100
MEASUREMENT BOOK.
(एक से) पन्ने हैं।

68
04-05

511658

जिला कार्यरत समस्त

Name of officer

र. 8. Gupta

सर्व शिक्षा अभियान,

19-7-06

ओरेगावादे

Date of first entry

Date of last entry

विद्यार गवर्नमेंट प्रेस, गया ।

Name of work -
 Situation of work -
 Agency by which work is executed -
 Date of measurement -
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L.	B.	D	
Final & final Bill					
Name of work -					
Construction of A.C.R.					
at P. S. Runkh					
Block - Madhapur					
Rt - Aurangabad					
Agency - V. S. Pinsky					
School Runkh and					
H. M. P. S. Runkh					
Date of measurement -					

(1) - Site clearance	2200			
@ Rs 68/labour			Rs	136.00
(2) - Providing	10"			
dia bore below ground				
Level				
21 x 11'6" =	24	1'6"		
1 x 15'11" =	15	1'11"		
	257	1'5"		
= 78.45 mts				
@ Rs 98.89/mts			Rs	2498.00
(3) - Making	63	mm		
dia under ground - at				
required depth in				
ordinary soil				
Continuation			Rs	2556.00

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
				Bf 2556.00
25' max	②	125	132	70
each				B 818.00
③ - Proportional Rec				
MIS (1: 2.4) Fills				
$21 \times \pi/4 (0.25)^2 \times 2.5$ m ³				
= 3.67 cu m				
$1 \times \pi/4 (0.25)^2 \times 4 = 0.85$ m ³				
= 0.24 cu m				
Ex. 178 for 4 cu m				
25' x 0.5' area m ²				
= 12.5				
5.33 cu m				

④ Rs 2029.95/m³

B 10520.00

⑤ - Proportional Rec
 filling below ground beam
 $118' 5\frac{1}{2}" - 22' 10" \times 10' \times 3'$
 = 19.84 ft.
 = 0.5618 m³

⑥ Rs 93.80/m³ B 53.4

⑦ - Proportional Rec
 B.F.S. below ground beam
 $118' 5\frac{1}{2}" - 22' 10" \times 10' = 79.39$ sq ft.
 = 7.376 m²

⑧ Rs 73.40/m²

B 541.00

Continuation Rs 14,788.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	14,788
⑦ - Provisioning					
R.C.C. Slab (1:2:4) in					✓
ground beam Excluding					
slab -					
$118'5\frac{1}{2}'' \times 10' \times 8' = 64' 89\frac{1}{2}''$					
$= 1.837 \text{ m}^3$					
⑧ 23 84.98 / m ³					
				Rs	4380.00
⑧ - Provisioning					
brick work in cm (1:6)					✓
up to Plinth					
$118'5\frac{1}{2}'' \times 10' \times 1\frac{1}{2}'$					

$= 122.90 \text{ sqft}$					
Deduction for door					
Pillar column					
$3 \times 1'3'' \times \frac{1}{4} (0.83)^2$					
⑨ = 2.03 sqft					
120.87 sqft					
$= 9.422 \text{ m}^3$					
⑩ 12 53.22 / m ²					
				Rs	4208.00
⑨ - Provisioning 25mm					
brick D.P.C M (1:2:4)					
$118'5\frac{1}{2}'' \times 10' = 98.32 \text{ sqft}$					
$= 9.1375 \text{ m}^2$					
⑪ 14 65.05 / m ²					
				Rs	594.00

Continuation 1493.9700

Sch. XLV-Form No. 134 4

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
				BF	23970.0
(10) - Provisioning work					
biole work		1016	C	m	
(1.6) in Superstructure					
in Path & band					
	118' 5 1/2"	10' x	10' 0"		
	=	983.20	est		
Deductions:					
1) - 1 x 4 x 7' x	10"	23.4	est		
2) - 3 x 4' x 5' x 10"		50.00	est		
Verandah opening:					
	28' 10" x 10' x 10'		239.28	est	
Lintel -					
	4 x 5' x 10" x 6"		8.30	est	

Lintel band -					
(89' 7 1/2" - 20' 0")	x 10"	x 3"			
=	14.45	est			
	335.27	est			
Net Quantity -					
983.20	-	335.27			
=	647.93	est			
=	183.47	m ³			
@ Rs 1285.35/m ³					
				Rs	23,582.00

(11) - Provisioning R.C					
M ₁₅ in Lintel band					
(89' 7 1/2" - 20' 0")	x 10"	x 3"			
=	14.447	est	= 0.409	m ³	
@ Rs 239.30/m ³				Rs	98.90

Continuation B48,541-0

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
				BF- 48,541.0
(18) - Providing M.S				✓
(1:2:4) in lintel				
4 x 5' x 10' x 6" = 8.30 cft.				
Lintel in Verandah				
29'8" x 11' x 6" = 12.36 cft				
				20.61 cft.
				= 0.58 m ³
@ Rs 28	82	357	cu m	
				B 1672.00
(19) - Providing M.S				
(1:2:4) in Verandah				✓
Pillar (columns)				

3 x 1/6" x 7/4 (0.893)²				
				= 17.85 cft
				= 0.5 m ³
@ Rs 243	9.10	/m ³		
				B 1244.40
(20) - Providing M.S				✓
Rec. Bed Block				
5 x 2'6" x 10' x 6" = 5.187 cft.				
				= 0.147 m ³
@ Rs 23	92.30	/m ³		B 351.80
(21) - Providing 63 mm				✓
R.C.C. ch...				
3 x 5' x 1'6" = 22.5 cft.				
				= 2.03 m ³
@ Rs 96	4.40	/m ³		
				B 770.00

Continuation Rs 52,578.00

Sch. XLV-Form No. 134 6

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	52,578.0
(16) - Providing M ₁₅ Rec. (1:2:4) beam all type -					
		17' 2 1/2"	10"	10"	11.86 cft
		9' 8"	10"	6"	12.28 cft
		2 x 2' 3' 8"	10"	13 1/2"	44.19 cft
					68.33 cft
					= 1.93 m ³
(16) @ Rs 340					1.30 / m ³
				Rs	6564.2
(17) - Providing M ₁₅ Rec. Raft.					

		3 x 9' 0"	2' 0"	2 1/2"	12.81 cft
					= 0.36 m ³
(17) @ Rs 2905					0.65 / m ³
				Rs	1046.00

(18) - Providing Rec. M ₁₅ (1:2:4) in filler slab.					
		8 x 1/2	9' 9"	11' 10"	
					= 461.37 cft
		9' 9"	1' 6"		= 141.38 cft
		9' 9"			
		3' 10"	17' 2 1/2"	7' 6"	
					= 79.11 cft
		17' 2 1/2"	3'		= 51.63 cft
		8' 8"	17' 2 1/2"	4' 10"	
					= 620.48 cft

Continuation

660.12 cft

Rs 60,188.00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	60,188.0
Qty - 66.12 sft					
= 62.12 m ² @ Rs 982.82 / m ²					
Qty (limit)				Rs	23,808.40
(19) - Providing 12 mm thick water proof cement plaster (1:3) with 5% water proof powder as per item (18)					
Qty - 62.19 m ²					
@ Rs 51.80 / m ²				Rs	3221.20
(20) - Providing 12 mm thick cement plaster (1:6) including 1.5 mm cement punning up to the center of the					
109'10" x 2'0" = 219.6 sft					
Quantity -					
93'10" x 6" = 46.91 sft					
					266.57 sft
= 24.77 m ²					
@ Rs 518.3 / m ²				Rs	1284.00
(21) - Providing 12 mm thick cement plaster (1:6) inner side of wall -					
inner class room					
8 x 9'0" x 10' = 720 sft					

Continuation: Rs 88,501.0

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF-	88,501.00
2x 1'6" x 10'0" = 30.00 sq ft					
Veranda					
2x 9'0" x 10'0" = 180.00 sq ft					
3'0" x 10'0" = 30.00 sq ft					
Pillar					
3x 4' x 10' x 7'6" = 74.28 sq ft					
Ver. Lin. al.					
2x 8'10" x 1'10" = 52.76 sq ft					
Beam					
2x 8'10" x 1'10" = 52.76 sq ft					
15' 2 1/2" x 2'6" = 38.85 sq ft					
2x 22' x 3'1" = 135.52 sq ft					

Rack					
3x 9'0" x 3'2 1/2" = 88.62 sq ft					
				1409.14 sq ft	
Deduction					
① - 1x 4' x 7' = 28.00 sq ft					
Starting as per items					
No. (25)					
Qty - 46.926 sq ft					
				74.92 sq ft	
Net Qty					
1409.14 - 74.92 sq ft					
= 1334.22 sq ft					
= 123.987 m ²					
② 1437.88 m ²				1437.88	4690.00

Continuation 1493,191.00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF-	93,191.00
(29) - Providing					/
course sand filling					
in Plinth					
8" x 1/2" x 11" =	39	6	0	sq ft	
1' 6" x 9" =	13	50	0	sq ft	
Portland cement					
3' 10" + 15' 6" x 6' 8 1/2"					
2		64	77	sq ft	
15' 6 1/2" x 7' =	46	63	0	sq ft	
7' 10" + 15' 4 1/2" x 4' 6"					
2			46	79	
				567.64	sq ft

Qty - 567.64 sq ft x 1' 10" =	1038.78	sq ft		
= 29.415 m ³				
@ Rs 93.80 / m ³				2759.00
(29) - Providing				/
designation 1-A Brick				
flat Soling as per item				
Mo - (29)				
Qty - 567.64 sq ft				
= 52.75 m ²				
				Rs 3871.00
(29) - Providing	25			/
mm thick I.P.S. flooring				
as per item (29)				
Qty - 52.75 m ² @ Rs 82.15 / m ²				Rs 4339.00

Continuation: Rs 104,154.00

Sch. XLV-Form No. 13410

Particulars	Details of actual measurements				Contents of area
	No	L	B	D	
					Bf 104,154.00
(26) - S/F/F M/S					
9 m window					
3 x 4 x 5' = 60.00 sqft					
@ 1.5 kg / sqft = 90 kg					
@ Rs 24 / kg					
				Rs	2160.00
(27) - S/F/F of					
16 gauge C.R. sheet					
in door & window					
6 - 3 x 4 x 5' = 60.00 sqft					
3 - 1 x 4 x 7' = 28.00 sqft					

= 8.18 m² @ Rs 98 4.86/m²
 Rs 8056.40

(28) - Provisioning
 16 mm dia fan hook
 1 x 3 = 3 nos.
 @ Rs 5.85 / nos
 Rs 148.50

(29) - Provisioning
 three coats of
 white washing (over
 wall) as per 2 (nos)

(21) & (18)
 143.98 + 62.12 m²
 = 186.1 m² @ Rs 4.25 / m²
 Rs 791.90

Continuation: Rs 115269.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D	
				BF-	1,15,269.0
(30) - Providing					
two coats of colour					
washing over 2 coats					
of white washing.					
8 x 9' 6" x 10' = 7800 sq ft					
3 x 10' 0" = 3000 sq ft					
				810.00 sq ft	
Deduction -					
4 - 3 x 4' x 5' 0" = 60.00 sq ft					
Net Quantity -					
810.00 - 60.00 = 750.00 sq ft					

	= 69.76 m ²			
(2) 157.35/m ²				
			Rs	512.00
(31) - Providing steel				
oxide primer on steel				
work				
Grid - 3 x 4' x 5' = 60.00 sq ft				
Shutter 2 x 5' 0" = 176.00 "				
				236.00 sq ft
	= 21.93 m ²			
(2) 15.93/m ²			Rs	349.00
(32) - Providing				
two coats of Enamel Paint				
being with sandy mix				
as per item (31)				
Qty = 21.93 m ² @ Rs 25.55/m ²				
			Rs	560.00

Continuation Rs 1,16,690.00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement			Contents of iron
	No.	L.	B.	
				B.F. = 1,16,690.00
(73) - 17000 - 17000				
Black board				
1 x 8' x 4' = 32 sq ft				
= 2.97 m ²				
@ 95 / m ²			17	283.00
2 Lanes - (35)				
Reinforcement detail - 6				
(1) Pile - 12 mm dia				
4 nos x 1 x 1 x 3'6" = 1099.5 ft				
4 x 1 x 16'0" = 64.00 ft				
			1156 ft	
= 352.33 mts				

@ 0.62 kg / mts				
= 218.44 kg				
S.S. cutting binding				
wastage - 10.91 kg				
299.36 kg				
[229 kg]				
Ring - 6 mm dia				
21 x 21 x 2'6" = 1102.5 ft				
1 x 23 x 2'6" = 57.5 ft				
1160.00 ft				
353.55 mts @ 0.22 kg / mts				
= 78.12 kg				

Continuation R 1,16,973.0

Sch. XLV-Form No. 1343

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(12) - Grated beam 8mm dia					
$48' 5\frac{1}{2}'' \times 6 \text{ nos} = 710.5 \text{ ft}$					
$= 216.2 \text{ mts}$					
5% cutting wastage					
$= 10.8 \text{ mts}$					
226.8 mts					✓
$= 188 \text{ kg}$					
Ring beam dia					
$178 \times 2 \times 6'' = 445 \text{ ft}$					
$= 135.62 \text{ mts}$					
$= 130 \text{ kg}$					

(13) - Lintel board					
8mm dia					
$89' \times 2 \times 178 \text{ ft}$					
$= 54.25 \text{ mts}$					
@ 0.9 kg/mts					✓
$= 21 \text{ kg}$					
(14) - Lintel on floor					✓
8mm dia					
$474 \times 5' = 80 \text{ ft}$					
$= 241.3 \text{ mts}$					
@ 150.395 kg/mts					
$= 101 \text{ kg}$					
Ring beam dia					
$8' \times 4' \times 2' = 64 \text{ ft} = 19.506 \text{ mts}$					
$= 4 \text{ kg}$					✓

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L'	B.	D.	
(v) - Vor Pillar					
beam					
16mm Φ					
$29'8'' \times 4 =$		118.64	ft		
5% cutting wastage					
		5.93	ft		
		124.57	ft		
= 37.967 mts					
@ 1088 kg/mts					
= 41180 kg					
Ring - 60mm Φ					
$52 \times 2'6'' =$		130	ft		
= 39.62 mts					

= 9129					
(vi) - chhajra					
8mm Φ					
$3 \times 12 \times 2'4'' =$		84	ft		
$3 \times 4 \times 5'0'' =$		40	ft		
		144	ft		
5% cutting - wastage					
= 7.2 ft					
		151.2	ft		
= 461.08 mts					
= 18 kg					
(vii) Raek - 8mm Φ					
$3 \times 5 \times 10'0'' =$		150	ft		
$3 \times 22 \times 2'4'' =$		153.78	ft		
		303.78	ft		
5% wastage		15.18	ft		
		318.98	ft		
= 97.917 mts					

Continuation
 158 kg.

Sch. XLV-Form No. 134 15

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L'	B.	D.	
(viii) - coal in Van					
12m m ²					
3x4x 13' 6" = 243 ft					
5% cutting binding					
binding wastage					
= 12.5 ft					
= 255.5 ft					
= 77.87 m ²					
⊕ = [69 kg]					
Ring - 6mm dia					
3x2.5x 2 1/8" = 187.5 ft					
= 57.147 m ²					
= [13 kg]					

(ix) - Ring Beam					
9m m ²					
2x4x 23' 9" = 192 ft					
crank					
2x2x 25' 6" = 102 ft					
292 ft					
5% cutting wastage					
= 14.6 ft					
306.6 ft					
= 93.447 m ²					
= [230 kg]					
16mm m ²					
2x2x 23' 0" = 92 ft					
5% Extra - 4.6 ft					
96.6 ft					
= 29.44 m ²					
= [47 kg]					

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134 16

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L'	B	D.	
					BF = 1,16,973.00
Ring		802	m		
2x47	x4	13"			399.58 ✓
	=	121.76	m ²		
5% BxG		6.08	mat		
		127.85	m ²		
	=	150	kg		
Total steel					
	229 +	78 + 88 + 20 + 21			
	+ 4 + 60	+ 9 + 18 + 38 + 69			
	+ 13 + 230	+ 47 + 50			
	=	984	kg.		

@ Rs 23.51/kg					
				Rs	23134
2' len					✓
- STE 175					
(i) - Excavation					
4'x4'x10" = 13.28					cu ft
	=	0.376	m ³		
@ Rs 30/m ³				Rs	11.025
(ii) - Sand filling					✓
4'x4'x3" = 4					cu ft
	=	0.113	m ³		
@ Rs 93.80/m ³				Rs	11.00
(iii) - Brick flat roofing					✓
4'x4' = 16.5 sq ft = 1.486					m ²
@ Rs 73.40/m ²				Rs	109.00

Continuation: Rs 1,40,238.00

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area	
	No	L	B		D
				B.F.	140,238.00
(iv) - Bricks work C.M (1:6)					
4' x 4' x 6" = 8.00 sq ft					
4' x 3' x 6" = 6.00 sq ft					
4' x 2' x 6" = 4.00 sq ft					
4' x 1' x 6" = 2.00 sq ft					
				20.00 sq ft	
					= 8.566 m ³
@ RS 12					53.00 / m ³
				Rs	710.00
(v) Paraffin plaster & punning in slabs					
(1:6)					
4' x 6' x 6" = 12 sq ft					

					= 1.12 m ² @ Rs 5183/m ²
				Rs	58.00
				Rs	1,48,006.00
Less the cost of Cement - 170 bags					
@ Rs 143.00 / bags				Rs	24,310.00
Less the cost of Steel - 984 kg @ Rs. 23.51 / kg				Rs	23134.00
				Rs	93,562.00
Less C.P. 9.09%					
				Rs	8505.00
				Rs	85,057.00

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134 18

Particulars	Details of actual measurement				Contents of iron
	No.	L.	B.	D.	
				BF	85,057.0
Add the cost of					
Cement 170 bags					
(i) Rs 14 3/4 bag (1) - B					24,310.00
Add the cost of					
Steel 984 kg @ Rs					
23.51/kg (1) - B					23134.00
				B	1,32,134.00
Add the carriage					
of material -					
(i) - Sand (3.5 cum)					
Qty - 107.00 ft.					
= 30.299 m ³					
(i) Rs 25 2.25/m ³					
				B	7643.00

(ii) - Stone chisels					
Karwan chisels to work					
Qty -					
Qty - 645 ft.					
= 18.264 m ³					
(i) Rs 37 9.95/m ²					
				B	6939.00
(iii) - Bricks (5 km)					
Qty - 10,500 nos					
(i) Rs 268.84 %					
				B	2823.00
				B	149539.00
1% Contingency - B					1495.00
				B	151,034.00

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L'	B.	D.	
				BF	1,51,034.00
9.5% Suburban St...					
change				B	3,776.00
				B	1,54,810.00

at P. S. Runka Taluk				
Madanpur Dist. Aurangabad				
under V. S. S. 2H. 01				
Primary school Runka				
Date of measurement				
08.1.08				
Batteries work -				
Ramp -				
(i) Excavation -				
2 x 6'0" x 10" x 10" = 8.267 cu ft				
= 0.234 m ³				
@ Rs 30.00/m ³				
Rs. 7.00				
(ii) - Sand filling -				
2 x 6'0" x 10" x 3" = 2.49 cu ft				
= 0.07 m ³ @ Rs. 98.80/m ³				
Rs. 7.00				

Continuation Rs 24.00

Sch. XLV-Form No. 134 27

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					Rs 14.00
(iii) - Brick flat					
Scaling -					
	1 x 6'0" x 2'4"				= 13.98 sq ft
					= 0.386 m ²
					Rs 1.299 m ²
					@ Rs 73.40 / m ²
					Rs 95.00
(iv) - P.C.C. (1:3:6)					
	2 x 6' x 10' x 4"				= 3.287 cu ft
					= 0.09 m ³
					@ Rs 14 31.00 / m ³
					Rs 133.00
(v) - 25 mm I.P.S. flooring in Ramp					

	1 x 6' x 4'				= 24 sq ft
					= 2.230 m ²
					@ Rs 82.15 / m ²
					Rs 183.00
					Rs 425.00
	Back-amount ASP per				
	Page No - (19)				Rs 1,54,810.00
					Rs 1,55,235.00
					Purushottam Prasad.
					13-01-2018
					Tech. Supervisor.
					S.S. A (M. Put)
					Less 2% VAT = 2% x 1,55,235.00 = Rs 3,105.00 (-)
					Less 1/2% Royalty = 1/2% x 1,55,235.00 = 4
					Continuation = Rs 2,32,900.00 (-)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of plot
	No.	L'	B	D	
Saided Amount = Rs 149,801.2					
100 Saided Amounts are Rs.					
Justly nine thousand eight hundred					
& one rupee only)					
on 25/12/02					
25.12.02					
J. G. 10/10/02					

on 25/12/02	25.12.02	J. G. 10/10/02	Account	6/3/02	Att. SCA P. 10/02
------------------------	----------	----------------	---------	--------	-------------------